न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़ (राजस्थान)
(पीठासीन अधिकारी – श्री प्रमोदकुमार सिंघव आर.ए.एस.)

मिसल नं0 874/दावा/2016
(पूर्व मि0नं0 604/15)
दायरा दि0 05/01/2015

उनवान

चौथमल नागर पुत्र हरनाथ जाति नागर निवासी म0नं0 525 संतोषीनगर कोटा
— वादी

बनाम्

1. चम्पालाल पुत्र बिरधीलाल जाति धाकड़ निवासी सोजपुर तह0 खानपुर
2. भंवरलाल पुत्र बिरधीलाल जाति धाकड़ निवासी सोजपुर तह0 खानपुर
3. जगन्नाथ पुत्र बिरधीलाल जाति धाकड़ निवासी सोजपुर तह0 खानपुर
4. हरनाथ पुत्र बिरधीलाल जाति धाकड़ निवासी सोजपुर तह0 खानपुर
5. गुलाबबाई पुत्री बिरधीलाल जाति धाकड़ निवासी सोजपुर तह0 खानपुर
6. रामकल्याण पुत्र हरनाथ जाति धाकड़ निवासी सोजपुर तह0 खानपुर
7. प्रेमचंद पुत्र हरनाथ जाति धाकड़ निवासी सोजपुर तह0 खानपुर
8. कैलाश पुत्र हरनाथ जाति धाकड़ निवासी सोजपुर तह0 खानपुर
9. आशा पुत्री हरनाथ जाति धाकड़ निवासी सोजपुर तह0 खानपुर
10. निशा पुत्री हरनाथ जाति धाकड़ निवासी सोजपुर तह0 खानपुर
11. वसंतीबाई पुत्री रामचरण जाति धाकड़ निवासी सोजपुर तह0 खानपुर
12. अयोध्याबाई पुत्री रामचरण जाति धाकड़ निवासी सोजपुर तह0 खानपुर
13. केदार पुत्र रामचरण जाति धाकड़ निवासी सोजपुर तह0 खानपुर
14. कुंजबिहारी पुत्र रामचरण जाति धाकड़ निवासी सोजपुर तह0 खानपुर
15. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार खानपुर

— प्रतिवादीगण

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.एक्ट 1955</u>

उपस्थित :– श्री अवधेश शर्मा अधिवक्ता – वादी

<u>निर्णय</u>

दिनांक 11/04/2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने यह वाद धारा 88, 53 आर.टी.एक्ट 1955 के अर्न्तगत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी एवं प्रतिवादी 1 लगा0 10 के पूर्वज कंवरलाल थे तथा वादी के दादा व प्रति0 1 लगा0 10 के पिता स्व0 बिरधीलाल थे। वादी स्व0बिरधीलाल का पौत्र व प्रति0 नं0 4 का पुत्र है। पक्षकारान की पैतृक सम्पत्तियां में ग्राम सोजपुर की ख0नं0 24 की 28.04 बीघा, ख0नं0 372 की 27.19 बीघा, ख0नं0 374 की 15.19 बीघा, ख0नं0 374 की 15.09 बीघा कुल 3 किता रकबा 71.12 बीघा व घघरावता की ख0नं0 20 की 0.03 बीघा, ख0नं0 376 की 2.02 बीघा, ख0नं0 318 की 1.07 बीघा, ख0नं0 319 की 0.04 बीघा, ख0नं0 321 की 0.10 बीघा ख0नं0 327 की 0.17 बीघा कुल 6 किता की 7.08 बीघा आराजी है, जो स्व0कंवरलाल व स्व0 बिरधीलाल के खाते की रही है। वाद पत्र में वर्णित ग्राम सोजपुर की आराजी 71.12 बीघा में प्रति0नं0 4 का 4/21 हिस्सा अंकित है। इस 4/21 हिस्से में नियमानुसार वादी का 1/6 हिस्सा बनता है। इसी प्रकार ग्राम घघरावता की आराजी ख0नं0 306 की 2.02 बीघा, ख0नं0 318 की 1.07 बीघा, ख0नं0 319 की 0.04 बीघा एवं 321/461 की 0.04 बीघा कुल 3.17 बीघा आराजी में प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

नं0 4 हरनाथ के हिस्सा में का वादी 1/6 हिस्सा बनता है, जिसे वादी प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी ने कई बार प्रतिवादीगण से आराजी के विभाजन के लिये आग्रह किया किन्तु वह तैयार नहीं हुये और नाजायज रूप से उसके हिस्से का दुरूपयोग कर मुनाफा हांसिल करते आ रहे है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में वाद पत्र के चरण कम 3 में वर्णित आराजियात में सह खातेदार घोषित किया जाकर प्रति0नं0 4 को जो पैतृक संम्पत्ति में 4/21 हिस्सा मिला है, उसका 1/6 हिस्सा पृथक से विभाजित किया जाकर उसका हिस्सा अच्छे से अच्छी, बुरी से बुरी आराजियात में दिलाया जावे, उसका कब्जा दिलाया जाये, तद्नूसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करें। अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझें यह भी वादी को दिलायी जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1, 2, 3, 5, 11 लगा0 15 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये, ऐसे में इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी नं0 4, 6 लगा0 10 की ओर से श्री गिरधारीलाल नागर एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाबदावा पेश करने का अवसर चाहा गया। अधिवक्ता प्रतिवादी ने पर्याप्त अवसर के बाद भी प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा पेश नहीं किया तथा दिनांक 23.01.2016 को प्रतिवादीगण एवं इनके अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी तथा वादी को अपने वाद के पक्ष में साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान किया गया। अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य में वादी चौथमल एवं गवाह रामेश्वर के बयान दर्ज कराये तथा ग्राम सोजपुर की नकल जमाबंदी सं0 2069–72 खाता सं0 41 Exp1, ग्राम सोजपुर की नकल जमाबंदी सं0 2053–56 खाता सं0 102 Exp2, ग्राम घघरावता की नकल जमाबंदी सं0 2067–70 खाता सं0 30 Exp3, ग्राम घघरावता की नकल जमाबंदी सं0 2055–58 खाता सं0 24 Exp4 प्रदर्श करायी गयी। तत्पश्चात साक्ष्य वादी बंदी की जाकर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी अपनी एक पक्षीय बहस में वाद–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि ग्राम सोजपुर की 71.12 बीघा व घघरावता की 7.08 बीघा आराजी वादी की पुश्तैनी सम्पत्ति है। यह स्व0कंवरलाल व स्व0 बिरधीलाल से वर्तमान खातेदारों को मिली है। सोजपुर की आराजी 71.12 बीघा में प्रति0नं0 4 हरनाथ जो वादी का पिता है, का 4/21 हिस्सा है, इसमें वादी का 1/6 हिस्सा बनता है। इसी प्रकार ग्राम घघरावता कुल 3.17 बीघा आराजी में प्रति0 नं0 4 हरनाथ जो वादी का पिता है, के हिस्से में 1/6 हिस्सा बनता है, जिसे वादी प्राप्त करने का अधिकारी है। हमने राजस्व रेकार्ड की नकलें पेश की हैं तथा गवाहान के बयान कराये हैं। इनसे हमारा दावा साबित है। अतः हमारा दावा डिकी करें। वादी को प्रति0नं0 4 हरनाथ के हिस्से में आने वाली वादग्रस्त आराजी में 1/6 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाकर हमारा हिस्सा प्रथक किया जावे तथा हमारे हिस्से की आराजी पर हमें कब्जा भी दिलाया जावे।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। वादी ने ग्राम सोजपुर व घघरावता में स्थित पुश्तैनी आराजी में से अपने पिता प्रति0 नं0 4 हरनाथ के हिस्से में दर्ज आराजी में से 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने एवं अपने हिस्से की आराजी का विभाजन चाहने का यह वाद पेश किया है। ग्राम सोजपुर की नकल जमाबंदी सं0 2069–72 खाता सं0 41 Exp1 में 3 किता की 71.12 बीघा आराजी स्थित है, इसमें वादी के पिता प्रति0नं0 4 हरनाथ पुत्र बिरधीलाल का 4/21 हिस्सा दर्ज है। ग्राम सोजपुर की नकल जमाबंदी सं0 2053–56 खाता सं0 102 Exp2 में 3 किता की 71.12 बीघा आराजी में बिरधीलाल पुत्र कंवरलाल व हरनाथ पुत्र बिरधीलाल सह खातेदार दर्ज हैं। इसी प्रकार ग्राम घघरावता की नकल जमाबंदी सं0 2067–70 खाता सं0 30 Exp3 में 4 किता की 3.17 बीघा आराजी स्थित है, इसमें वादी के पिता हरनाथ प्रति0नं0 4 का 1/4 हिस्सा दर्ज है। ग्राम घघरावता की नकल जमाबंदी सं0 2055–58 खाता सं0 24 Exp4 में 6 किता की 7.08 बीघा आराजी में प्रति0नं0 4 हरनाथ 1/4 हिस्से का सह खातेदार दर्ज रेकार्ड है। प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड से वादग्रस्त आराजी प्रति0नं0 4 के खातेदारी एवं वादी की पुश्तैनी सम्पत्ति होना साबित है। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे हैं। इससे प्रकट होता है कि प्रतिवादीगण को वादी के वाद पर कोई आपत्ति नहीं है। वादी

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

चौथमल नागर Pw1 एवं गवाह रामेश्वर नागर Pw2 के बयानों से वादी चौथमल, प्रति0नं0 4 हरनाथ पुत्र बिरधीलाल का पुत्र होना साबित है। चूँकि प्रति0नं0 4 के वादी सहित 6 संतान है एवं एक स्वंय प्रतिवादी मौजूद है। ऐसे में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत वादग्रस्त आराजी में प्रति0नं0 4 के दर्ज हिस्से में से वादी सहित प्रति0नं0 4, प्रति0नं0 6 लगा0 10 प्रत्येक 1/7–1/7 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः वाद, वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा ग्राम सोजपुर की जमावंदी सं0 2069–72 की खाता सं0 41 की ख0नं0 24 की 28.04 बीघा, ख0नं0 372 की 27.19 बीघा, ख0नं0 374 की 15.09 बीघा कुल 3 किता की 71.12 बीघा एवं ग्राम घघरावता की जमावंदी सं0 2067–70 की खाता सं0 30 की ख0नं0 306 की 2.02 बीघा, ख0नं0 318 की 1.07 बीघा, ख0नं0 321/461 की 0.04 बीघा कुल 3 किता की 3.17 बीघा आराजी में प्रति0नं0 4 हरनाथ के अंकित हिस्से में वादी को 1/7, प्रति0नं0 4 को 1/7, प्रति0नं0 6 को 1/7, प्रति0नं0 7 को 1/7, प्रति0नं0 8 को 1/7, प्रति0नं0 9 को 1/7 एवं प्रति0नं0 10 को 1/7 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। साथ ही वादी के 1/7 हिस्से में आने वाली आराजी का विभाजन किये जाने की आज्ञा भी पारित की जाती है। आराजी पर रहन सहित खाते की शेष प्रविष्ठियां यथावत रहेंगी। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया हो। वादी का खाता प्रथक किये जाने हेतू तहसीलदार खानपुर राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार आराजी पर आने जाने के रास्ते का प्रावधान करते हुये अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। वादी अंतिम डिक्री हेतू स्टाम्प पेश करें। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 11/04/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner